...पर सवाल-जवाब किए गए। ...पेश नहीं कर सकी थी।

शाजापुर में महर्षि महेश योगी ट्रस्ट की 190 बीघा जमीन फर्जी तरीके से बेची, 4 पर केस

भास्कर न्यूज | शाजापुर

महर्षि महेश योगी के निर्देशन में बने स्प्रिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट (एसआरएम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ग्राम पिपलौदा में 190 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने क्रेता-विक्रेता सहित चार नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जमीन पर ट्रस्ट की ओर से खेती करने के लिए अधिकृत विशंभर सिंह निवासी मुरैना ने सुनेरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार संस्था एसआरएम की कृषि भूमि के लिए चंद्रमोहन निवासी नई दिल्ली ने जोधपुर के आकाश मालवीय को अधिकृत कर दिया। आकाश ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेच दी। उक्त जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी संस्था को मिली तो उन्होंने विक्रय पत्रों की नकल निकलवाई। इसके बाद सुनेरा थाने में आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि आकाश मालवीय ने जालसाजी कर प्रियंका सोनी, शोभा रघुवंशी और प्रियंका निगम को जमीन बेच दी। पुलिस ने मामले में सभी पर केस दर्ज किया है।

दैनिक जागरण | 23 मार्च 2024
www.djmp.in/epaper

न्यूज कार्नर

सीसीटीवी कैमरों को कराया जा रहा दुरूस्त

जागरण शाजापुर। शहर में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन द्वारा शाजापुर शहर में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करवाने का कार्य कराया गया। होली और ईद पर्व पर शरारती तत्व हुड़दंग न कर सकें इसको लेकर पुलिस सीसीटीवी कैमरों की चेक कर रही है, जो कैमरे बंद हैं उन्हें चालू कराया जा रहा है और जा चालू हैं उनकी सफाई की जा रही है।

5200 किलो ग्राम लाहन एवं 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त

जागरण शाजापुर। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के विरूद्ध सतत् अभियान चलाया जा रहा है। मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर नियंत्रण के लिए जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन के मार्गदर्शन में वृत्त शाजापुर अंतर्गत निपानिया कंजर डेरा में दबिश कर लगभग 5200 किलो ग्राम लाहन एवं 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं च के तहत 05 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी

देशभर में सक्रिय है आरोपियों का गिरोह

फर्जी ढंग से 199 बीघा 8 बीस्वा कृषि भूमि बेचने के मामले में पांच पर मुकदमा दर्ज

जागरण शाजापुर। मुरेना जिले की संस्था की फर्जी दस्तावेज तैयार कर सैकड़ों बीघा कृषि भूमि को अवैध ढंग से बेचने के मामले में सुनेरा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता स्प्रिच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट (एसआरम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा महासचिव अजय प्रकाश श्रीवास्तव की ओर से अधिकृत विश्वम्भरसिंह पिता भागचन्द्र यादव निवासी मुरेना गांव द्वारा सुनेरा थाना पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी जीआर चंद्रमोहन, आकाश मालवीय, प्रियंका सोनी, शोभा रघुवंशी, प्रियंका निगम और अन्य व्यक्तियों ने स्प्रिच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट (एसआरएम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ग्राम पिपलोदा स्थित 199 बीघा 8 बीस्वा कृषि भूमि को छलपूर्वक कुटरचित कर एवं जाली दस्तावेज तैयार कर विक्रय किया है।

सुनेरा पुलिस ने बताया कि फरियादी ने शिकायत की थी कि एसआरएम फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पिपलोदा स्थित कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु चन्द्रमोहन ने षड़यंत्र कर आकाश मालवीय को अधिकृत किया जो कि संस्था का प्रतिनिधि नही है और न ही संस्था से इसका कोई लेना देना है। आकाश कुमार मालवीय निवासी वर्धमान कालोनी गोल्फक्रर्स जोधपुर राजस्थान द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संस्था की जमीन का षड़यंत्र कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रियंका सोनी पिता महेन्द्र सोनी निवासी नेहरू कालोनी तराना तहसील तराना जिला उज्जैन, शोभा रघुवंशी पति भूपेन्द्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर 51 के पास इंदौर, प्रियंका निगम पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन को 22 फरवरी 2024 को दो विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया गया। जबकि आकाश मालवीय का उक्त कृषि भूमि पर ना ही कोई मालिकाना स्वामित्व हक है और ना ही उक्त व्यक्ति का कोई कब्जा कृषि भूमि पर है। आकाश मालवीय द्वारा अनाधिकृत रूप से संस्था की भूमि को धोखाधड़ी कर विक्रेताओं के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय का पंजीयन रजिस्टार शाजापुर के माध्यम से करवाया है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है।

मामले में पुलिस ने आरोपी जीआर चंद्रमोहन, आकाश मालवीय, प्रियंका सोनी, शोभा रघुवंशी, प्रियंका निगम सहित अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

देशभर में सक्रिय है आरोपियों का गिरोह

पुलिस के अनुसार फरियादी विश्वम्भरसिंह पिता भागचन्द यादव द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को भी थाना सुनेरा में इसी प्रकार से अनाधिकृत एवं अवैध विक्रय पत्र के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपियों के विरूद्ध करवाई थी जिसका अपराध क्रमांक 259/2023 है। इसी प्रकार से उक्त गिरोह द्वारा अलग लोगों के नाम से कृत्य दोहराया गया है। पूर्व में भी भारत के कई जिलों में इस गिरोह के द्वारा संस्था की जमीनों को षड़यंत्र कर जाली दस्तावेज बनाकर विक्रय करने का प्रयास किया गया है जिस पर कई प्रकरण न्यायालयों में चल रहे हैं। आरोपी आकाश मालवीय ने राजस्थान का निवासी होने के बावजूद स्वयं को पिपलोदा का निवासी बताकर उक्त भूमि का विक्रय जालसाजी से कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर संस्था ने आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया है।

स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अख़बार
दैनिक भास्कर
कुल पेज 18, मूल्य ₹ 5.00 | वर्ष 19, अंक 61, नगर
उज्जैन, शनिवार 23 मार्च, 2024 | फाल्गुन शुक्ल पक्ष-13-14, 2080 | 12 राज्य | 61 संस्करण

मुख्यमंत्री स्पेशल कोर्ट में पेश, देश में आप का प्रदर्शन
सीएम ही 'किंगपिन' ... दिन के रिमांड पर

पहली बार ऐसी स्थिति... चुनाव से पहले हेलिकॉप्टर तक नहीं
भाजपा...विधानसभा का 55 करोड़ पेमेंट रोका, अब गाड़ी मिल रही न हेलिकॉप्टर

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महर्षि महेश योगी ट्रस्ट की 190 बीघा जमीन बेची, क्रेता-विक्रेता सहित चार लोगों पर केस दर्ज

ग्राम पिपलौदा में 18 करोड़ से ज्यादा की जमीन, विक्रय के बाद रजिस्ट्री भी हो गई, सुनेरा थाना में केस दर्ज

भास्कर संवाददाता | शाजापुर

महर्षि महेश योगी के निर्देशन में बने स्प्रिच्युअल रीजनरेशन मूवमेंट (एसआरएम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सुनेरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलौदा में 190 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को उक्त कृषि जमीन के लिए अधिकृत बता दिया और जाली दस्तावेज तैयार कर संस्था की जमीन बेच दी। मामले में पुलिस थाने में शिकायत की गई।

जांच के बाद पुलिस ने क्रेता-विक्रेता सहित चार नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जमीन 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई गई है। उक्त जमीन पर ट्रस्ट की ओर से खेती करने के लिए अधिकृत विशंभर सिंह (36) पिता भागचंद यादव निवासी मुरैना ने सुनेरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार संस्था एसआरएम की कृषि भूमि ग्राम पिपलौदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर में स्थित है। इस जमीन के लिए चंद्रमोहन पिता पुरुषोत्तम निवासी साउथ एवेन्यू नई दिल्ली ने जोधपुर राजस्थान के रहने वाले आकाश मालवीय को षड्यंत्रपूर्वक अधिकृत कर दिया, जबकि आकाश उक्त संस्था का प्रतिनिधि ही नहीं है। आकाश ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संस्था की करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी।

संस्था एसआरएम फाउंडेशन ऑफ इंडिया महर्षि महेश योगी के निर्देशन से वर्ष 1963 में स्थापित पंजीकृत सोसायटी है, इसका पंजीकृत कार्यालय उत्तरप्रदेश में है। सोसायटी का मुख्य कार्य योग का प्रचार प्रसार करना है। सोसायटी द्वारा अपने कार्यक्रमों का विधिवत संचालन करने के लिए देश के विभिन्न जिलों में भूमि खरीदी गई। इसी तर्ज पर वर्ष 2006 में संस्था के महासचिव अजय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा ग्राम पिपलौदा में 39.96 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई, जिसके स्वामित्व के अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं। संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त कृषि भूमि बेचने का अधिकार नहीं दिया गया है। उक्त भूमि की देखरेख और कृषि करने के लिए विशंभर सिंह यादव को अधिकार पत्र देकर अधिकृत किया है। यादव द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है। उक्त जमीन पर संस्था का कब्जा है, परंतु आकाश मालवीय द्वारा षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि प्रियंका पिता महेंद्र सोनी निवासी नेहरू कॉलोनी, तराना जिला उज्जैन, शोभा पति भूपेंद्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर-51 के पास इंदौर, प्रियंका पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन को 22 फरवरी 2024 को दो विक्रय पत्र के माध्यम से बेच दी। आकाश मालवीय द्वारा अनधिकृत रूप से संस्था की भूमि को धोखाधड़ी कर विक्रेताओं के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि के क्रय-विक्रय का पंजीयन रजिस्ट्रार शाजापुर के माध्यम से करवाया है, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। शेष पेज 9 पर

विक्रय पत्रों की नकल निकलवाई

उक्त जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी संस्था को मिली तो उन्होंने विक्रय पत्रों की नकल निकलवाई। इसके बाद सुनेरा थाने में आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि खुद को पिपलोदा का निवासी बताने वाले जोधपुर राजस्थान निवासी आकाश मालवीय द्वारा जालसाजी करते हुए प्रियंका पिता महेंद्र सोनी निवासी नेहरू कॉलोनी तराना जिला उज्जैन, शोभा पति भूपेंद्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर-51 के पास इंदौर, प्रियंका पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन को बेच दी। सुनेरा टीआई गोपाल निनवाल ने बताया जांच के बाद चारों आरोपियों सहित अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

PPT

शाजापुर-राजगढ़

प्रथम प्रहरी टाइम्स

खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने संकलित

पीपीटी न्यूज, शाजापुर। खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन द्वारा आज शुजालपुर एवं मो. बड़ोदिया क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित किये गये। शुजालपुर में बंटी नमकीन से बेसन लड्डू और नमकीन, एनीटाईम बेकरी से टोस्ट एवं खारी के नमूने लिए गए। इसी तरह मो. बड़ोदिया में तिरुपति दूध डेयरी से मावा, केवकृपा दूध डेयरी से दूध, राजकमल उपहार गृह से मावा बाटी एवं नमकीन के नमूने लिए गए। सभी लिए गए नमूनों को विभाग द्वारा जाँच के लिए राज्य की प्रयोगशाला में भेजा गया है।

फर्जी ढंग से 199 बीघा 8 बीस्वा कृषि भूमि बेचने के मामले में पांच पर मुकदमा दर्ज

कमल सूर्यवंशी, शाजापुर

मुरैना जिले की संस्था की फर्जी दस्तावेज तैयार कर सैकड़ों बीघा कृषि भूमि को अवैध ढंग से बेचने के मामले में सुनेरा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता स्प्रिच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट (एसआरम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा महासचिव अजय प्रकाश श्रीवास्तव की ओर से अधिकृत विश्वम्भरसिंह पिता भागचन्द यादव निवासी मुरैना गांव द्वारा सुनेरा थाना पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी जीआर चंद्रमोहन, आकाश मालवीय, प्रियंका सोनी, शोभा रघुवंशी, प्रियंका निगम और अन्य व्यक्तियों ने स्प्रिच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट (एसआरएम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ग्राम पिपलोदा स्थित 199 बीघा 8 बीस्वा कृषि भूमि को छलपूर्वक कूटरचित कर एवं जाली दस्तावेज तैयार कर विक्रय किया है। सुनेरा पुलिस ने बताया कि फरियादी ने शिकायत की थी कि एसआरएम फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पिपलोदा स्थित कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु चन्द्रमोहन ने षड़यंत्र कर आकाश मालवीय को अधिकृत किया जो कि संस्था का प्रतिनिधि नही है और न ही संस्था से इसका कोई लेना देना है। आकाश कुमार मालवीय निवासी वर्धमान कालोनी गोल्फकर्स जोधपुर [illegible] द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संस्था की जमीन का षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रियंका सोनी पिता महेन्द्र सोनी निवासी नेहरू कालोनी तराना तहसील तराना जिला उज्जैन, शोभा रघुवंशी पति भूपेन्द्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर 51 के पास इंदौर, प्रियंका निगम पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन को 22 फरवरी 2024 को दो विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया गया। जबकि आकाश मालवीय का उक्त कृषि भूमि पर ना ही कोई मालिकाना स्वामित्व हक है और ना ही उक्त व्यक्ति का कोई कब्जा कृषि भूमि पर है। आकाश मालवीय द्वारा अनाधिकृत रूप से संस्था की भूमि को धोखाधड़ी कर विक्रेताओं के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय का पंजीयन रजिस्ट्रार शाजापुर के माध्यम से करवाया है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। मामले में पुलिस ने आरोपी जीआर चंद्रमोहन, आकाश मालवीय, प्रियंका सोनी, शोभा रघुवंशी, प्रियंका निगम सहित अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

देशभर में सक्रिय है आरोपियों का गिरोह..!

पुलिस के अनुसार फरियादी विश्वम्भरसिंह पिता भागचन्द यादव द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को भी थाना सुनेरा में इसी प्रकार से अनाधिकृत एवं अवैध वि य पत्र के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपियों के विरूद्ध करवाई थी जिसका अपराध क्रमांक 259/2023 है। इसी प्रकार से उक्त गिरोह द्वारा अलग लोगों के नाम से कृत्य दोहराया गया है। पूर्व में भी भारत के कई जिलों में इस गिरोह के द्वारा संस्था की जमीनों को षडयंत्र कर जाली दस्तावेज बनाकर वि य करने का प्रयास किया गया है जिस पर कई प्रकरण न्यायालयों में चल रहे हैं। आरोपी आकाश मालवीय ने राजस्थान का निवासी होने के बावजूद स्वयं को पिपलोदा का निवासी बताकर उक्त भूमि का वि य जालसाजी से कर दिया, जिसकी सूचना [illegible] दर्ज कराया है।

...चुनाव 2023 के ... के पास 8 हेलिकॉप्टर और 4 विमान रिजर्व में थे। सरकार और पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अब इन कंपनियों से मान-मनौव्वल की जा रही है। विधानसभा

पहला ... पर चुनाव होने ... पार्टी के पास रिजर्व में न तो हेलिकॉप्टर और न ही विमान। इसके पीछे बड़ी वजह

...सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और ... विजयवर्गीय सभी ने हवाई दौ... 230 विधानसभाओं के प्रभारियों को फोर व्हीलर दी गई थी। कई पदाधिकारियों के पास अलग से वाहन थे। यानी, कुल करीब 350 गाड़ियां किराए पर ली गई थीं। शेष|पेज 9 पर

...विधानसभा में ज्यादा जरूरत थी। लोकसभा में जितनी जरूरत होगी, उसी हिसाब से ले रहे हैं। - अखिलेश जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष, भाजपा

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महर्षि महेश योगी ट्रस्ट की 190 बीघा जमीन बेची, क्रेता-विक्रेता सहित चार लोगों पर केस दर्ज

ग्राम पिपलौदा में 18 करोड़ से ज्यादा की जमीन, विक्रय के बाद रजिस्ट्री भी हो गई, सुनेरा थाना में केस दर्ज

भास्कर संवाददाता | शाजापुर

महर्षि महेश योगी के निर्देशन में बने स्प्रिच्युअल रीजनरेशन मूवमेंट (एसआरएम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सुनेरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलौदा में 190 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को उक्त कृषि जमीन के लिए अधिकृत बता दिया और जाली दस्तावेज तैयार कर संस्था की जमीन बेच दी। मामले में पुलिस थाने में शिकायत की गई।

जांच के बाद पुलिस ने क्रेता-विक्रेता सहित चार नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जमीन 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई गई है। उक्त जमीन पर ट्रस्ट की ओर से खेती करने के लिए अधिकृत विशंभर सिंह (36) पिता भागचंद यादव निवासी मुरैना ने सुनेरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार संस्था एसआरएम की कृषि भूमि ग्राम पिपलौदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर में स्थित है। इस जमीन के लिए चंद्रमोहन पिता पुरुषोत्तम निवासी साउथ एवेन्यू नई दिल्ली ने जोधपुर राजस्थान के रहने वाले आकाश मालवीय को षड्यंत्रपूर्वक अधिकृत कर दिया, जबकि आकाश उक्त संस्था का प्रतिनिधि ही नहीं है। आकाश ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संस्था की करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी।

संस्था एसआरएम फाउंडेशन ऑफ इंडिया महर्षि महेश योगी के निर्देशन से वर्ष 1963 में स्थापित पंजीकृत सोसायटी है, इसका पंजीकृत कार्यालय उत्तरप्रदेश में है। सोसायटी का मुख्य कार्य योग का प्रचार प्रसार करना है। सोसायटी द्वारा अपने कार्यक्रमों का विधिवत संचालन करने के लिए देश के विभिन्न जिलों में भूमि खरीदी गई। इसी तर्ज पर वर्ष 2006 में संस्था के महासचिव अजय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा ग्राम पिपलौदा में 39.96 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई, जिसके स्वामित्व के अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं। संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त कृषि भूमि बेचने का अधिकार नहीं दिया गया है। उक्त भूमि की देखरेख और कृषि करने के लिए विशंभर सिंह यादव को अधिकार पत्र देकर अधिकृत किया है। यादव द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है। उक्त जमीन पर संस्था का कब्जा है, परंतु आकाश मालवीय द्वारा षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि प्रियंका पिता महेंद्र सोनी निवासी नेहरू कॉलोनी, तराना जिला उज्जैन, शोभा पति भूपेंद्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर-51 के पास इंदौर, प्रियंका पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन को 22 फरवरी 2024 को दो विक्रय पत्र के माध्यम से बेच दी। आकाश मालवीय द्वारा अनधिकृत रूप से संस्था की भूमि को धोखाधड़ी कर विक्रेताओं के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि के क्रय-विक्रय का पंजीयन रजिस्ट्रार शाजापुर के माध्यम से करवाया है, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। शेष|पेज 9 पर

विक्रय पत्रों की नकल निकलवाई

उक्त जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी संस्था को मिली तो उन्होंने विक्रय पत्रों की नकल निकलवाई। इसके बाद सुनेरा थाने में आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि खुद को पिपलौदा का निवासी बताने वाले जोधपुर राजस्थान निवासी आकाश मालवीय द्वारा जालसाजी करते हुए प्रियंका पिता महेंद्र सोनी निवासी नेहरू कॉलोनी तराना जिला उज्जैन, शोभा पति भूपेंद्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर-51 के पास इंदौर, प्रियंका पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन को बेच दी। सुनेरा टीआई गोपाल निगवाल ने बताया जांच के बाद चारों आरोपियों सहित अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

दैनिक भास्कर

शाजापुर 23-03-2024

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महर्षि महेश योगी ट्रस्ट की 190 बीघा जमीन बेची, क्रेता-विक्रेता सहित चार लोगों पर केस दर्ज

ग्राम पिपलौदा में 18 करोड़ से ज्यादा की जमीन, विक्रय के बाद रजिस्ट्री भी हो गई, सुनेरा थाना में केस दर्ज

भास्कर संवाददाता | शाजापुर

महर्षि महेश योगी के निर्देशन में बने स्प्रिच्युअल रीजनरेशन मूवमेंट (एसआरएम) फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सुनेरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलौदा में 190 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को उक्त कृषि जमीन के लिए अधिकृत बता दिया और जाली दस्तावेज तैयार कर संस्था की जमीन बेच दी। मामले में पुलिस थाने में शिकायत की गई।

जांच के बाद पुलिस ने क्रेता-विक्रेता सहित चार नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जमीन 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई गई है। उक्त जमीन पर ट्रस्ट की ओर से खेती करने के लिए अधिकृत विशंभर सिंह (36) पिता भागचंद यादव निवासी मुरैना ने सुनेरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार संस्था एसआरएम की कृषि भूमि ग्राम पिपलौदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर में स्थित है। इस जमीन के लिए चंद्रमोहन पिता पुरुषोत्तम निवासी साउथ एवेन्यू नई दिल्ली ने जोधपुर राजस्थान के रहने वाले आकाश मालवीय को षड्यंत्रपूर्वक अधिकृत कर दिया, जबकि आकाश उक्त संस्था का प्रतिनिधि ही नहीं है। आकाश ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संस्था की करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी।

संस्था एसआरएम फाउंडेशन ऑफ इंडिया महर्षि महेश योगी के निर्देशन से वर्ष 1963 में स्थापित पंजीकृत सोसायटी है, इसका पंजीकृत कार्यालय उत्तरप्रदेश में है। सोसायटी का मुख्य कार्य योग का प्रचार प्रसार करना है। सोसायटी द्वारा अपने कार्यक्रमों का विधिवत संचालन करने के लिए देश के विभिन्न जिलों में भूमि खरीदी गई। इसी तर्ज पर वर्ष 2006 में संस्था के महासचिव अजय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा ग्राम पिपलौदा में 39.96 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई, जिसके स्वामित्व के अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं। संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त कृषि भूमि बेचने का अधिकार नहीं दिया गया है। उक्त भूमि की देखरेख और कृषि करने के लिए विशंभर सिंह यादव को अधिकार पत्र देकर अधिकृत किया है। यादव द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है। उक्त जमीन पर संस्था का कब्जा है, परंतु आकाश मालवीय द्वारा षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि प्रियंका पिता महेंद्र सोनी निवासी नेहरू कॉलोनी, तराना जिला उज्जैन, शोभा पति भूपेंद्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर-51 के पास इंदौर, प्रियंका पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन को 22 फरवरी 2024 को दो विक्रय पत्र के माध्यम से बेच दी। आकाश मालवीय द्वारा अनधिकृत रूप से संस्था की भूमि को धोखाधड़ी कर विक्रेताओं के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि के क्रय-विक्रय का पंजीयन रजिस्ट्रार शाजापुर के माध्यम से करवाया है, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। शेष | पेज 9 पर

विक्रय पत्रों की नकल निकलवाई

उक्त जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी संस्था को मिली तो उन्होंने विक्रय पत्रों की नकल निकलवाई। इसके बाद सुनेरा थाने में आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि खुद को पिपलौदा का निवासी बताने वाले जोधपुर राजस्थान निवासी आकाश मालवीय द्वारा जालसाजी करते हुए प्रियंका पिता महेंद्र सोनी निवासी नेहरू कॉलोनी तराना जिला उज्जैन, शोभा पति भूपेंद्र रघुवंशी निवासी 198 शुभम पैलेस स्कीम नंबर-51 के पास इंदौर, प्रियंका पति निखिल निगम निवासी शिवालय परिसर नानाखेड़ा उज्जैन को बेच दी। सुनेरा टीआई गोपाल निगवाल ने बताया जांच के बाद चारों आरोपियों सहित अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

राजपूत और पूर्व वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एफआईआर दर्ज है, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ऐसे हुआ था घोटाला : आरजीपीवी ने निजी बैंक में एफडी कराने के नाम पर बैंक के अधिकारी कुमार मयंक के निजी खाते में 19.48 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह अलग-अलग चेकों के जरिये किया गया और आरजीपीवी अपने लेजरों में मयंक के खाते को अपना बताता रहा। इसके साथ ही दलित संघ सोहागपुर के खाते में भी करीब 10 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। शासन द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी ने इस घोटाले की पुष्टि की थी। जिसके आधार पर एफआईआर करवाई गई थी। अभी छह सदस्यीय कमेटी इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। शासन स्तर पर गठित की गई यह टीम पांच साल के सभी ट्रांजेक्शन की जांच करेगी। इस टीम में आईएएस सोमेश मिश्रा, आरडीवीवी के कुलपति राजेश वर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। इस टीम फाइनेंस के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।

अहमदाबाद भेजी गई थी टीम

पुलिस ने बताया कि ऐसे इनपुट मिले थे कि कुमार मयंक अहमदाबाद में है। उसकी लोकेशन भी बदल रही थी। इसके बाद यहां से टीम अहमदाबाद भेजी गई थी। वहां उसकी स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार की गई। इसके बाद उसे भोपाल लाया गया और शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसके खिलाफ रिकार्ड में जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इनकी लोकेशन ट्रेस होते ही गिरफ्तार किया जाएगा।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर...

जाहिर सूचना देखकर पूर्व में करवाई थी एफआईआर : दरअसल ट्रस्ट की जमीनों को हड़पने वाला गिरोह देशभर में सक्रिय है। पूर्व में भी देश के कई जिलों में इस गिरोह द्वारा संस्था की जमीनों को षड्यंत्र पूर्वक, जाली दस्तावेज बनाकर बेचने का प्रयास किया हुआ है, जिस पर कई प्रकरण न्यायालयों में चल रहे हैं। पिपलौदा में हुए इस फर्जीवाड़े में जमीन के धंधे से जुड़े शाजापुर के कुछ रसूखदार लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। उक्त 190 बीघा 8 बिस्वा जमीन को पूर्व में भी बेचने का प्रयास किया गया था। संस्था द्वारा अधिकृत विशंभर सिंह यादव द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को भी सुनेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके अनुसार 30 सितंबर 2023 को उसने उक्त कृषि भूमि का सर्वे नम्बर समाचार पत्र में प्रकाशित जाहिर सूचना में देखा, जिसमें भूमि को पक्षकार द्वारा विक्रय करना लेख किया गया है। इसके बाद यादव ने पड़ताल की तो पता चला कि एसआरएम फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फर्जी दस्तावेज (विक्रय अनुबंध पत्र) को चंद्रमोहन पिता पुरुषोत्तम निवासी साउथ एवेन्यू नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध कर्ता असीम कुमार पिता एसके तिवारी निवासी चार इमली भोपाल को विक्रय करने का अधिकार दिया है। असीम कुमार तिवारी द्वारा उक्त विक्रय अनुबंध पत्र को विक्रय करने अधिकार क्रेता पक्ष दीपक कुमार पिता मोहनलाल सोनी निवासी शाजापुर को अधिकृत किया गया। आवेदन में बताया गया कि संस्था की भूमि को चंद्रमोहन, असीम कुमार तिवारी एवं दीपक कुमार सोनी व अन्य व्यक्तियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक जाली दस्तावेजों को तैयार कर क्रय-विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में जांच के बाद सुनेरा थाना में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसी प्रकार से उक्त गिरोह द्वारा अलग लोगों के नाम से इस प्रकार का कृत्य दोहराया गया है।